प्रेस नोट **24.11.2022**

दिनांक 16.11.2022 को थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत बनियापार में ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक से गोली मार कर हुयी लूट मामले का खुलाशा, पुलिस मुठभेड़ में दो शातिर अर्न्तजनदीय लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 40 हजार रूपये, एक पिस्टल, 04 जिंदा/खोखा कारतूस 32 बोर तथा घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.11.2022 को थाना मुहम्मदबाद पुलिस तथा स्वाट टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चालीसवा उसर पुलिया के पास से मोटरसाइकिल सवार दो शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया। जबकि उनके दो साथी गन्ने के खेत का फायाद उठा कर भागने में सफल रहें। पूछताछ में उनका नाम क्रमशः अमित यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र दुर्योधन यादव निवासी मोइनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ तथा विजय कुमार उर्फ मुलायम पुत्र राम नरेश निवासी रधौली माउरबोझ थाना घोसी जनपद मऊ बताया गया। जब उक्त गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.11.2022 को हम लोगो द्वारा बनियापार में ग्राहक सेवा संचालक से लूट किया गया था उस घटना में हमारे साथ दो अन्य लोग रामचन्द्र उर्फ मैकू पुत्र स्व0 कन्हैया निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ तथा लालू यादव उर्फ मोनू पुत्र सूर्यबली निवासी कपारगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ भी थे, हम चारो ने मिलकर उक्त घटना को कारित किये थे जिसमें इन्ही दोनों मोटरसाइकिलों को प्रयुक्त किये थे। इस घटना में रेंकी करने का कार्य प्रियांशु यादव पुत्र सरवन यादव निवासी सुरहुरपुर थाना मुहम्मदाबाद द्वारा की गयी जो बताया था कि ग्राहक सेवा संचालक अकेले बैठता है जिससे रूपये छिनने में आसानी होगी। लूट के शेष रूपये मैकू और लालू के पास है। आज हम लोग इब्राहिमपुर मुबाकरपुर में सोनार को लूटने के फिराक में थे। हमलोग पुलिस से बचने के लिए घटना के समय न ही मोबाइल रखते है न ही मोबाइल का यूज करते है। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तो के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 610/22 धारा 307 भादवि0, मु0अ0सं0 611/22 धारा 3/7/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पूर्व में पंजीकृत अभियोग में धारा 411/120 बी भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. अमित यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र दुर्योधन यादव निवासी मोइनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
2. विजय कुमार उर्फ मुलायम पुत्र राम नरेश निवासी रधौली माउरबोझ थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. लूट के 40 हजार रूपये।
2. एक पिस्टल तथा 04 अदद जिंदा/खोखा कारतूस 32 बोर।
3. घटना में प्रयुक्त एक अपाचे आटीआर तथा दूसरी हीरो ग्लैमर वाहन बिना नम्बर प्लेट।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद शैलेष सिंह मय हमराहियान।
थानाध्यक्ष कोपागंज/प्रभारी स्वाट टीम अमित कुमार मिश्र मय हमराहियान।
निरीक्षक अपराध संजय सरोज मय हमराहियान।
का0 संजय सिंह, का0 शशिमणी त्रिपाठी **सर्विलांस टीम मऊ।**

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 24.11.2022 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान निजामुद्दीनपुरा से मु0अ0सं0 449/22 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 में वांछित अभियुक्त राजीव कुमार पुत्र सियाराम निवासी निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 17 व्यक्ति तथा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 24.11.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा रामप्रवेश गुप्ता, श्रवण गुप्ता निवासीगण गहनी थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा शशिकांत, राजेन्द्र प्रसाद, दीपक कुमार निवासीगण देवकली विसूनपुर, अभिनन्दन राजभर, मंगल राजभर निवासीगण ढ़ाढ़ी, संतोष यादव, अरविन्द यादव निवासीगण इन्दारा थाना कोपागंज, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा शैलेन्द्र कुमार, प्रमिला निवासीगण बसारथपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा मुन्ना यादव निवासी सुल्तानपुर थाना सरायलखंसी, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देवेन्द्र सिंह निवासी सहादतपुरा, अनुज सिंह, राहुल, अनुभव दुबे निवासीगण निजामुद्दीनपुरा, विपिन शर्मा निवासी बुढ़ावर, राहुल सोनी निवासी रतनपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त कैलाश चौहान पुत्र चिखरू चौहान निवासी दशई पोखरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।